भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 07/09/2026– डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला सं. एडी (एसएसआर) – 05/2026

दिनांक : 20 **मार्च**, 2026

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 07/09/2026-डीजीटीआर** - समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" या "एडी नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, कैबोट सैनमार लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" के रुप में कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में कहा गया है) से आयातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के रुप में कहा गया है) के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि इसे पहले ही रद्द न कर दिया जाए, इस प्रकार शुल्क लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएगा; और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति

होने की संभावना है। इसी के अनुरूप, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांच की पृष्ठभूमि

3. चीन और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी शुल्क जांच दिनाक 22 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी और दिनांक 20 सितंबर 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/40/2020-डीजीटीआर के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। ये उपाय दिनांक 11 नवंबर 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 66/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं पर लागू किए गए थे।

4. इसके बाद, चीन के खिलाफ दिनांक 11 अगस्त 2025 की अधिसूचना सं. 7/05/2025-डीजीटीआर के माध्यम से एक अवशोषण रोधी जांच शुरू की गई थी। शुल्क की मात्रा में संशोधन किया गया था और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 30/2025- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से ये उपाय लागू किए गए थे। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 10 नवंबर 2026 को समाप्त हो जाएंगे।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जो इस प्रकार है:

"आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "अनट्रिटेड फ्यूम्ड सिलिका" है। सिलिका यौगिक के वाष्प चरण ज्वाला हाइड्रोलिसिस से निर्मित सिंथेटिक सिलिका को सामान्य तौर पर फ्यूम्ड सिलिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की सिंथेटिक सिलिका अपनी कार्यक्षमता, निर्माण प्रक्रिया और आवश्यक कच्चे माल के कारण अन्य सिलिका से भिन्न होती है। जहां अन्य सिंथेटिक सिलिका तरल चरण में सिलिकेट घोल से बनाई जाती हैं, वहीं फ्यूम्ड सिलिका गैस चरण में बहुत उच्च तापमान पर निर्मित की जाती है।

फ्यूम्ड सिलिका को अनुपचारित फ्यूम्ड सिलिका और उपचारित फ्यूम्ड सिलिका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुपचारित फ्यूम्ड सिलिका, क्लोरोसिलैन फीडस्टॉक के ज्वाला हाइड्रोलिसिस द्वारा ऑक्सीजन-हाइड्रोजन ज्वाला में 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बनाई जाती है। यह प्रक्रिया एक अद्वितीय संरचना वाली सिलिका के उत्पादन को संभव बनाती है, जिसमें श्रृंखला की तरह समुच्चय और गुच्छे शामिल होते हैं।

6. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत उप-शीर्ष 28112200 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहता है जो विगत जांच परिणाम रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था।

8. आवेदक ने इस चरण पर किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है।

9. विचाराधीन जांच में हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई हो, इस जांच की शुरुआत की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

10. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है, और दोनों ही 'समान वस्तुएं' हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, उत्पाद की आवश्यक विशेषताओं जैसे कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीक, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं और करते भी आ रहे हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे के विकल्प हैं और इसलिए, नियमों के तहत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। 'समान वस्तु' के मामले की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच के दौरान भी पहले ही की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए एक 'समान वस्तु' है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. यह आवेदन कैबोट सैनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है।

12. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

ड़. संबद्ध देश

13. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है। कोरिया गणराज्य के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा रही है, क्योंकि कोरिया गणराज्य से पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना के संबंध में कोई विधिवत पुष्ट आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

च. जांच की अवधि

14. आवेदक ने दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया था। प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

छ. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह सिद्ध करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की

स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत और मूल्य से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने जापान से आयात मूल्य के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे 'कारखाना बाह्य' स्तर पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया है। विगत जांच में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाई गई थी। जांच शुरू करने के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य जापान से आयात मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे निवल 'कारखाना बाह्य' स्तर पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया है।

17. संबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें और विधिवत पुष्ट दावे करें।

निर्यात मूल्य

18. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य, डीजी सिस्टम्स के डेटा में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह पर हैंडलिंग का खर्च, क्रेडिट लागत और वस्तुसूची रखने की लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना 'कारखाना बाह्य' स्तर पर की गई है। *प्रथम दृष्टया* यह देखने में आया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इससे *प्रथम दृष्टया* यह सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाज़ार में लगातार पाटित किया जा रहा है।

ज. क्षति और पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

20. आवेदक ने संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में, पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही संदर्भों में, वृद्धि के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना के संबंध में भी जानकारी प्रदान की है, जिसमें लगातार पाटन, उपायों की अवधि

समाप्त होने पर कीमतों पर पड़ने वाला संभावित ह्रास/न्यूनीकरण का प्रभाव, संबद्ध देश में उत्पादन क्षमता का विस्तार, क्षमताओं की तुलना में संबद्ध देश में मांग का कम होना, और निर्यात-उन्मुखता जैसी जानकारी शामिल है, जिन्हें क्षति की संभावना सिद्ध करने का आधार बनाया गया है।

21. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, *प्रथम दृष्टया*, संबद्ध देश से पाटन के जारी रहने की संभावना और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति को दर्शाती है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

22. आवेदक के विधिवत समर्थित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को पुष्ट करते हैं तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार, प्राधिकारी एतदद्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते है। इस जांच का प्रयोजन संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के संबंध में, वर्तमान में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना है; साथ ही यह जांच करना है कि क्या ऐसे शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण स्वयं कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी: एडी/एसएसआर/005/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्चयोग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, और भारत में उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें।

26. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध नीचे निर्धारित किए गए तरीके और समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर यह आवश्यक है कि वही पक्षकार उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराए।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि रखें और इस संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहें और समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रश्नावली के फार्मेट, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक की समय अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र सूचना, संशोधन की अधिसूचना और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के बारे में अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले की आईडी: एडी/एसएसआर/005/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठों, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना आवश्यक है और यह अपलोड उस तारीख से 37 दिनों के भीतर करना होगा जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस सूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।

30. पीयूसी/ पीसीएन कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15-दिवसीय अवधि, इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 28 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. पीयूसी/ पीसीएन में बदलाव के कारण समय-सीमा में विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद में जारी किसी सूचना के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन में ऐसा बदलाव करती है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार, संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। इस पैरा में उल्लिखित किया गया 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ हो। इस 15 दिनों के विस्तार (यदि दिया गया हो) के बाद और अधिक समय-विस्तार के लिए किए गए अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्य तौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

32. किसी भी समय विस्तार के लिए अनुरोध संबद्ध पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से मूल समयसीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

33. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता हैं।

34. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

35. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

36. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

38. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की सामग्री को उचित रुप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और कारणों का ऐसा विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, और यह विवरण प्राधिकारी के लिए संतोषजनक होना चाहिए।

39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

40. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि जानकारी का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

41. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ण. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी